

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDC)..... मुकाम.....
बायत

..... बनाम खेताराम वर्गल

किस्म मुकदमा..... नं..... 121/18..... सन्..... 2018.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/4/18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रिण्डाराम त्रिपाठी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128.....</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>16/4/18</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDC) बायत</p> <p>16/04/18</p> <p>प्रार्थी पक्षील उपस्थित। विप्रार्थीगिनो के नोटिस तामिल खुडा जात जिसे शामिल पत्रावली दिना जाया। विप्रार्थीगिनो वाच्युड तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री एडवोकेट <u>वृषभ लुनी</u> गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने वातामा श्री प्रार्थी को अपने व्यावहारिक खेत के चारों ओर पन्हे नेषम स्थापित करवाना आव-वशुड हो इमलिए प्रार्थी को नेषमबनी कोवेसल्टी डार दिना जाडर नेषमबनी कोदेश दिना जाके। अतः प्रार्थी को नेषमबनी कोवेसल्टी डार दिना जाडर तदवलीलडार गिड के इतिमान नियुक्त दिना जाया हो व कोदेश दिना जाया हो कि काय स्वयं या अपने अधिनस्थ किली भी भू-सामिलेख निरिसुड ये प्रार्थी के व्यावहारिक खेतो श्री पक्षी नेषमबनी कोडे पर इतिमान प्लीज जमा करडर इहे पालना रिपोर्ट जात होने पर शामिल पत्रावली में पत्रावली फिमल खुता हो, इज नम्बर के इम हो दाखिल इमल हो।</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 526

राजस्व आवेदन संख्या - 121/18


दिनांक:- 16/4/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्री मदाराम पुत्र नानगाराम वगैरा 2 जाति जाट निवासी खरथाणियों का तला, कानोड़ तह. गिड़ा जिला बाड़मेर		1. श्री खेताराम पुत्र हिमथाराम वगैरा 11 निवासी खरथाणियों का तला, कानोड़ तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

मौजा खरथाणियों का तला पटवार हल्का कानोड़ के खेत खसरा नम्बर 669 रकबा 81.04 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(हेतु) 
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 16/4/2018

क्रमांक / वाद / 2018 / 527 + 531
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, कानोड़ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री मदाराम पुत्र नानगाराम वगैरा 2।
4. विप्रार्थीगण श्री खेताराम पुत्र हिमथाराम वगैरा 11।
थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।




उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु